न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र मूढ़ो की ढ़ाणी

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नगाराम पुत्र मगाराम जाति भाट निवासी महादेव नगर, मूढ़ो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर		1. उदाराम पुत्र प्रभूराम 2. ताजाराम पुत्र लाधूराम 3. खेताराम लाधूराम 4 भूराराम पुत्र लाधूराम 5 दरियादेवी पत्नि लाधूराम 6 गोरधनराम पुत्र रायमलराम 7 किस्तुराराम पुत्र रायमलराम 8 खेमाराम पुत्र रायमलराम 9. वीरमाराम पुत्र रायमलराम 10 केंकूदेवी पत्नि रायमलराम 11 भोमाराम पुत्र मंगलाराम 12 रूपाराम पुत्र मंगलाराम 13 तुलसाराम पुत्र मंगलाराम 14.सवाराम पुत्र मंगलाराम 15. आसूराम पुत्र मंगलाराम 16 अन्नाराम पुत्र मंगलाराम 17 बाबूराम पुत्र मंगलाराम 18 जोगाराम पुत्र सुखराम 19 रमेश पुत्र सुखराम 20. बांकाराम पुत्र सुखराम 21 रम्भादेवी पत्नि सुखराम जाति भाट निवासीयान महादेव नगर, मूढ़ो की ढ़ाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

दिनांक–16.12.2021

राजस्व आवेदन संख्या–132/2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र मूढ़ो की ढ़ाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 617/276 रकबा 08.13 बीघा, खसरा नम्बर 623/276 रकबा 16.02 बीघा, कुल रकबा 24.15 बीघा चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर
दिनांक– 17/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/459-462

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढ़ो की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नगाराम पुत्र मगाराम जाति भाट निवासी महादेव नगर, मूढ़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण उदाराम पुत्र प्रभूराम वगैराह जाति भाट/जाट निवासी महादेव नगर, मूढ़ो की ढ़ाणी तहसील व जिला बाड़मेर

1 से 3 पृष्ठ

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर